तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 107 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला निवासी माली थलियों का बास, होटल सिटी पेलेस के पीछे, नई सड़क, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.05.2019 में उसके द्वारा (1) जोधपुर के गंगाणा में मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिये खसरा नम्बर 8 में सेट एपार्ट भूमि की तरमीम करवाने हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी का पत्र दिनांक 18.04.19 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि इस पर की गई कार्यवाही संबंधी पत्रावली की प्रतिलिपि कार्यालय टिप्पणी सहित की प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	